संख्या-79/2016/1621/22-2-2016-17(251)/2011

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सेवक पुत्र श्री मुरली धोवी, निवासी-जनपद-इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रो0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-12-09-2016, दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सेवक पुत्र श्री मुरली धोवी, निवासी-खेडा हेलू, थाना-चौबिया, जिला-इटावा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा फिरौती के उद्देश्य से पकड़े जाने के डर से दिनांक 29-08-2007 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर 07 वर्षीय बालक की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-22/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 22-07-2009 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है परन्तु अपनी 05 बिन्दुओ की आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करता है, दोनों पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2016 तक 08 वर्ष 09 माह 04 दिन की अपरिहार एवं 11 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राम सेवक (बन्दी संख्या-25803) पुत्र श्री मुरली धोबी, निवासी-जनपद-इटावा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-79/2016/1621/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in